भारत सरकार

**इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 3106**

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2025 को दिया जाना है

28 फाल्गुन, 1946 (शक)

**पत्रिकाओं, सामाजिक मीडिया और जर्नलों की वेबसाइटों को ब्लॉक करना**

**3106. श्री ए. राजा**:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत राज्यवार कितनी वेबसाइटों, पत्रिकाओं, सोशल मीडिया, जर्नलों को ब्लॉक किया गया;

(ख) क्या अवरोधन आदेश जारी करने तथा जुर्माना लगाने से पहले विधिक प्रक्रिया का पालन किया गया था;

(ग) क्या सरकार डिजिटल सामग्री को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने का इरादा रखती है, जिसमें सार्वजनिक रूप से आदेश और ऐसी कार्रवाइयों के कारण बताना शामिल है, क्योंकि कई न्यायालयों ने लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता के मद्देनजर ऐसी मनमानी कार्रवाइयों के खिलाफ आदेश पारित किए हैं ; और

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

**इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)**

(क) से (घ): सरकार की नीतियों का उद्देश्य अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि इंटरनेट किसी भी प्रकार की गैरकानूनी सामग्री या सूचना से मुक्त रहे। इस उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ("आईटी नियम") को अधिसूचित किया है। ये नियम सोशल मीडिया मध्यस्थों सहित मध्यस्थों पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय अपेक्षित सावधानी बरतने के लिए विशिष्ट दायित्व डालते हैं। दायित्वों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी भी तृतीय-पक्ष सूचना, डेटा या संचार लिंक के लिए देयता से छूट समाप्त हो जाती है और वे कानून के अनुसार इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। ऐसे दायित्वों में मध्यस्थ द्वारा अपने उपयोगकर्ताओं को जानबूझकर या इरादतन किसी भी कानून का उल्लंघन करने वाली किसी भी जानकारी को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, प्रकाशित, प्रसारित या संग्रहीत न करने के लिए उचित प्रयास करना शामिल है। इसके अलावा,

सोशल मीडिया माध्यस्थों सहित माध्यस्थों को भी किसी भी गैरकानूनी जानकारी को हटाना आवश्यक है, जब भी उन्हें न्यायालय के आदेश या किसी उपयुक्त सरकार या उसकी अधिकृत एजेंसी द्वारा नोटिस के माध्यम से जानकारी में लाया जाता है। ऐसी गैरकानूनी सूचना के अंतर्गत भारत की संप्रभुता और अखंडता, के हित के संबंध में किसी कालक्रम में लागू किसी कानून के अंतर्गत निषिद्ध सूचना, राज्य की सुरक्षा, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, उपरोक्त से संबंध में किसी अपराध के लिए उकसाने या किसी कालक्रम में लागू किसी कानून के अंतर्गत निषिद्ध सूचना शामिल है।
आपत्तिजनक सामग्री की जांच उपरोक्त नियमों के नियम 14 के तहत गठित एक अंतर-विभागीय समिति द्वारा की जाती है, जिसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जिसमें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई), फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के डोमेन विशेषज्ञ शामिल होते हैं। इसके अलावा, नियम संबंधित प्रकाशक या मध्यस्थ को अंतर-विभागीय समिति के समक्ष उपस्थित होने और अपना जवाब और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हैं।

मध्यस्थ मंच पर ऐसी किसी भी सूचना को हटाने के लिए नोटिस सीधे संबंधित उपयुक्त सरकारों या उनकी अधिकृत एजेंसियों द्वारा भेजे जाते हैं, जहां उपयुक्त सरकार संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार राज्य और केंद्र सरकार दोनों हो सकती है।

*****